8/12/21

... सहायक कलेक्टर एवम उपखण्ड अधिकारी ओसियाँ जिला जोधपुर।

... अधिकारी :– रतनलाल रेगर (आर ए एस)

... वाद सख्या 81/2020

... :–

1. मोनिका पुत्री श्री शुमदान
2. वसुदान पुत्र श्री शुमदान सभी जाति चारण निवासी ग्राम बैचारणा तहसील ओसियाँ जिला जोधपुर।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. सरकार जरिये तहसीलदार ओसियॉ

वाद अन्तर्गत धारा 88 (ईटठयासी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 (एक सौ छतीस) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :–

वादीगण की अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार मदेरणा

प्रतिवादी पैरोकार सरकार उपस्थित

–::निर्णय ::–

दिनॉक :– 08. 12. 2020

वादीगण की ओर से वादपत्र इस आशय का पेश किया गया कि तहसील ओसियॉ के राजस्व ग्राम बैचारणा की सरहद में स्थित खेत खसरा सख्या 111 रकबा 3.5208 हेक्टर,, खसरा सख्या 71 रकबा 4.4273 हेक्टर, खसरा सख्या 81 रकबा 4.0630 हेक्टर, खसरा सख्या 81/2 रकबा 4.0226 हेक्टर, खसरा सख्या 86 रकबा 12.9256 हेक्टर, राजस्व ग्राम करणीनगर के खसरा सख्या 53 रकबा 11.3474 हेक्टर, खसरा सख्या 54 रकबा 5.7627 हेक्टर वादीगण व अन्य सहखातेदारो की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि आई हुई है उक्त वादग्रस्त भूमि वादीगण के पूर्व वादीगण के पिता श्री शुभदान व सहखातेदारो की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि थी। वादीगण के पिता श्री शुभदान का देहान्त माता गजरो देवी के जीवनकाल में ही हो गया था इसलिए गजरो व शुभदान का फौतेदगी नामान्तरकरण सख्या 278 एक साथ ही स्वीकार ... वादीगण व डुगरदान व जिनु कंवर के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किए गए उक्त वादग्रस्त भूमि में नामान्तरकरण सख्या 278 स्वीकार करते समय वादीगण सख्या 01 को घरलू बोलचाल की भाषा में मांगू कंवर कहते थे जबकि वादीगण सख्या 01 का वास्तविक पहचान सम्बधी दस्तावेजो के अनुसार नाम मोनिका था व वादीगण सख्या 02 को घरलु बोलचाल की भाषा में वासुदेव कहते थे जबकि वादीगण सख्या 02 का वास्तविक पहचान सम्बधी दस्तावेजो के ... के देहान्त के पश्चात राजस्व कर्मचारियो के द्वारा त्रुटिवश वादीगण ... सम्बधी ...

Scanned with CamScanner

कर्मचारियों की त्रुटि किए बिना दर्ज कर दिया गया । इसलिए वादीगण सख्या 01 मांगूकंवर के स्थान पर मोनिका व वादीगण सख्या 02 वासुदेव के स्थान पर वसुदान घोषित करवाने के अधिकारी है। इसलिए यह वादपत्र बाबत नाम की त्रुटि सुधार हेतु घोषणा का विरूद्ध प्रतिवादीगण सख्या 01 के पेश है । वादीगण के पहचान सम्बंधी दस्तावेजो की प्रति सलग्न वादपत्र पेश है। वादीगण को उक्त त्रुटि से दर्ज नाम की कोई जानकारी नही थी हाल ही मे वादीगण ने वादग्रस्त भूमि का विकास कार्य करवाने बाबत राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी की नकल ली तो वादीगण को ज्ञात हुआ कि वादीगण का नाम राजस्व कर्मचारियो की त्रुटिवश पहचान सम्बंधी दस्तावेजो के अनुसार अंकित नही कर घरेलू बोलचाल की भाषा का नाम दर्ज कर दिया। इसलिए वादीगण को अपने हिस्से की भूमि का विकास कार्य करवाने मे कठिनाई महसूस होती है जबकि मोनिका व वसुदान नाम वादीगण सख्या 01 व 02 के ही है जो एक ही नाम है । यदि उक्त त्रुटि सुधार की जाती है तो प्रतिवादी तथा अन्य सहखातेदारो के हितो पर कोई प्रभाव नही पडेगा तथा वादीगण अपनी खातेदारी व कब्जा काश्त शुदा भूमि का विकास कार्य करवाने मे भी कोई कठिनाई महसूस नही होगी। इसलिए वादीगण सख्या 01 मांगूकंवर के स्थान पर मोनिका व वादीगण सख्या 02 वासुदेव के स्थान पर वसुदान घोषित करवाने का अधिकारी है। इसलिए यह नाम शुद्धि की घोषणा का वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादी पेश है। वादीगण उक्त नाम की त्रुटि सुधार हेतु प्रार्थना पत्र लेकर दिनांक 30.10.2020 को प्रतिवादीगण सख्या 01 के कार्यालय मे उपस्थित हुए तो प्रतिवादीगण सख्या 01 ने नामान्तरकरण मे रही त्रुटि को सुधार करने की अपनी क्षेत्राधिकारीता से बाहर बताकर नाम सुधार करने से इंकार कर दिया तो वादीगण को मजबूरन यह वादपत्र पेश करना पड रहा है। अन्त मे इस्तदुआ चाही कि शुद्धि की घोषणा की डिक्री बहक वादीगण बरखिलाफ प्रतिवादीगण सख्या 01 इस आशय की जारी की जावे कि वादग्रस्त भूमि तहसील ओसियाँ के राजस्व ग्राम बैचारणा की सरहद मे स्थित खेत खसरा सख्या 111 रकबा 3.5208 हेक्टर, खसरा सख्या 71 रकबा 4.4273 हेक्टर, खसरा सख्या 81 रकबा 4.0630 हेक्टर, खसरा सख्या 81/2 रकबा 4.0226 हेक्टर, खसरा सख्या 86 रकबा 12.9256 हेक्टर, राजस्व ग्राम कल्याणनगर के खसरा सख्या 53 रकबा 11.3474 हेक्टर, खसरा सख्या 54 रकबा 5.7627 हेक्टर भूमि मे वादीगण सख्या 01 का नाम मांगूकंवर के स्थान पर मोनिका व वादीगण सख्या 02 का वासुदेव के स्थान पर वसुदान घोषित करने का सादिर आदेश फरमावे।

वादीगण का उक्त वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया जिसमे प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा पेश किया गया जवाब दावा मे प्रतिवादी ने वादी के वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को स्वीकार किया तथा उक्त नाम त्रुटिवश गलत होना अंकित किया ।

पत्रावली मे प्रतिवादी द्वारा वादी के वादपत्र को स्वीकार करने के पश्चात वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य कोई विवादक नही होना पाया गया । इसलिए पत्रावली को वास्ते साक्ष्य वादी मे मुकर्र किया गया । साक्ष्य वादी मे वादीगण की ओर से गवाह वादीगण सख्या 01 मोनिका को उपस्थित किया गया जिसमे गवाह द्वारा वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को हुबहु दोहराते हुए राजस्व कर्मचारियो की त्रुटिवश नामान्तरकरण सख्या 278 मे नाम दर्ज होना जाहिर किया। वादीगण की ओर से साक्ष्य मे वादपत्र मे सलग्न दस्तावेज राजस्व रेकर्ड प्रदर्श करवाए जिसमे प्रदर्श 01 व 02 जमाबन्दी, प्रदर्श 03 नामान्तरकरण सख्या 278 की प्रति, प्रदर्श 04 पहचान पत्र की प्रति, प्रदर्श 05 आधार कार्ड की प्रति, प्रदर्श 06 वादी सख्या 02 के आधार कार्ड की प्रति, प्रदर्श 07 पेन कार्ड की प्रति प्रदर्श 08 अंकतालिका की प्रति । उक्त दस्तावेज प्रदर्शित के पश्चात वादीगण ने और कोई साक्ष्य पेश नही करनी चाही तथा प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा मे वादपत्र को स्वीकार किए जाने से साक्ष्य प्रतिवादी लिया जाना उचित प्रतीत नही होता है अतः पत्रावली को बहस अन्तिम मे मुकर्र किया गया।

Scanned with CamScanner

उभय पक्षकारान सुनी गई अधिवक्ता वादीगण की ओर से अपनी बहस मे वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए बताया कि वादग्रस्त भूमि वादीगण व अन्य सहखातेदारो की खातेदारी की भूमि है जिसमें वादीगण के पिता के देहान्त के पश्चात वादीगण का नाम दर्ज किया गया लेकिन वादीगण का नाम दर्ज करते समय राजस्व कर्मचरियो के द्वारा वादीगण का नाम त्रुटिवश गलत अंकित कर दिया गया । जबकि वादीगण का शुद्ध नाम मोनिका व वसुदान है। अधिवक्ता वादीगण की ओर से बहस में यह बताया कि वादग्रस्त भूमि के उक्त नाम की त्रुटि का सुधार किया जाता है तो अन्य सहखातदारो के खातेदारी अधिकारो पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडेगा। तथा वादीगण अपनी भूमि का विकास कार्य भी आसानी से करवा सकेंगे। पैराकार सरकार द्वारा जबाब दावा मे वर्णित तथ्यो को ही अपनी बहस बताया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादीगण का नाम वादीगण के पिता श्री सुभदान के देहान्त के पश्चात जरिये फौतेदगी नामान्तरकरण सख्या 278 प्रदर्श 03 के जरिये दर्ज हुआ हैं लेकिन वादीगण का वास्तविक नाम प्रदर्श 04 से 08 मे वर्णित अनुसार वीदगण सख्या 01 का नाम मोनिका तथा वादीगण सख्या 02 का वसुदान दर्ज करना चाहिए था। इसलिए उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–::आदेश ::–

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है व तहसील ओसियॉ के राजस्व ग्राम बैचारणा की सरहद में स्थित खेत खसरा सख्या 111 रकबा 3.5208 हेक्टर,, खसरा सख्या 71 रकबा 4.4273 हेक्टर, खसरा सख्या 81 रकबा 4.0630 हेक्टर, खसरा सख्या 81/2 रकबा 4.0226 हेक्टर, खसरा सख्या 86 रकबा 12.9256 हेक्टर, राजस्व ग्राम करणीनगर के खसरा सख्या 53 रकबा 11.3474 हेक्टर, खसरा सख्या 54 रकबा 6.7627 हेक्टर भूमि मे वादीगण सख्या 01 का नाम मॉगू कंवर के स्थान पर मोनिका तथा वादीगण सख्या 02 वासुदेव के स्थान पर वसुदान घोषित करने को आदेश दिया जाता है तदनुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो ।

(रतनलाल रेगर)
आर.ए.एस
सहायक कलेक्टर ओसियॉ

आदेश आज दिनॉक 08.12.2020 को हस्ताक्षरित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतनलाल रेगर)
आर.ए.एस
सहायक कलेक्टर ओसियॉ

Scanned with CamScanner